

पत्र के साथ अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपीलान्त का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 खारिज किया जाता है । पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 20.11.2018 को पेश हो ।

(भागवती जेठवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

20/11/18

अधिकतम 30/11/18 / पत्रावली पूर्व आदेशानुसार

दिनांक 17/12/18 को पेश हों।

वाकैवत्स वकील अपीलार समय चालते

(भागवती जेठवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

17/12/18 वकील समय पर उपस्थित । माननीय राजस्व मन्त्र, कोटा से उसकी मिसत्र की निम्नी शपथ हुई है। न्यायालय हाजिरी की मिसत्र मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के माननीय राजस्व मन्त्र, कोटा से मिलायी जावे। वास्तु निम्नी राजस्व मन्त्र से शपथ होने पर पुनः दर्ज की जावे। पत्रावली वास्तु निम्नी खारिज दफ्तर हो व गम्वर से कर हो।

(भागवती जेठवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा